

न्यायालय जिला कलक्टर दौसा
पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई०ए०एस०

(1) निगरानी सं० 02/2024 (ग्राम पंचायत)

ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जरिये सरपंच।

..... याचिकाकार

बनाम

1. विजय कुमार पुत्र रामजीलाल मीना निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज०
2. ग्राम पंचायत प्यारीवास पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच।
3. उप पंजीयक नांगल राजावतान जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

(2) निगरानी सं० 03/2024 (ग्राम पंचायत)

ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जरिये सरपंच।

..... याचिकाकार

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र कल्याणसहाय मीना निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज०
2. ग्राम पंचायत प्यारीवास पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच।
3. उप पंजीयक नांगल राजावतान जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

(3) निगरानी सं० 04/2024 (ग्राम पंचायत)

ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जरिये सरपंच

..... याचिकाकार

बनाम

1. काली देवी पत्नि रामजीलाल मीना निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज०
2. ग्राम पंचायत प्यारीवास पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच।
3. उप पंजीयक नांगल राजावतान जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

(4) निगरानी सं० 05/2024 (ग्राम पंचायत)

ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जरिये सरपंच

..... याचिकाकार

बनाम

1. राजीव कुमार पुत्र कन्हैयालाल मीना निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज०
2. ग्राम पंचायत प्यारीवास पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच।
3. उप पंजीयक नांगल राजावतान जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

(5) निगरानी सं० 06/2024 (ग्राम पंचायत)



Darwaha
जिला कलक्टर, दौसा

..... याचिकाकार

बनाम

1. दिलीप पुत्र कन्हैया मीना निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0
2. ग्राम पंचायत प्यारीवास पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच।
3. उप पंजीयक नांगल राजावतान जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

(6) निगरानी सं0 07/2024 (ग्राम पंचायत)

ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जरिये सरपंच।

..... याचिकाकार

बनाम

1. कन्हैया पुत्र कल्याण मीना निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0
2. ग्राम पंचायत प्यारीवास पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच।
3. उप पंजीयक नांगल राजावतान जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

(7) निगरानी सं0 08/2024 (ग्राम पंचायत)

ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जरिये सरपंच।

..... याचिकाकार

बनाम

1. कन्हैया पुत्र कल्याण मीना निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0
2. ग्राम पंचायत प्यारीवास पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच।
3. उप पंजीयक नांगल राजावतान जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

(8) निगरानी सं0 09/2024 (ग्राम पंचायत)

ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जरिये सरपंच।

..... याचिकाकार

बनाम

1. रामेश्वरी पत्नि कन्हैया मीना निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0
2. ग्राम पंचायत प्यारीवास पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच।
3. उप पंजीयक नांगल राजावतान जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

(9) निगरानी सं0 10/2024 (ग्राम पंचायत)

ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जरिये सरपंच।

..... याचिकाकार

बनाम

1. खुशबू पुत्री रामजीलाल मीना निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

(14) निगरानी सं० 15/2024 (ग्राम पंचायत)

ग्राम पंचायत मानपुरिया पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जरिये सरपंच।

..... याचिकाकार

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र कल्याणसहाय मीना निवासी कानपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज०
2. ग्राम पंचायत प्यारीवास पंचायत समिति नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा जरिये सरपंच।
3. उप पंजीयक नांगल राजावतान जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 म उपस्थित:-

1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता निगरानीकर्तागण
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा गैर निगरानीकर्ता सं० 1 की ओर से।
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 10.7.2024

1. उक्त सभी निगरानियों के तथ्य लगभग एक समान है। अतः इन सभी निगरानियों का निस्तारण एकल निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।
2. उक्त सभी निगरानियों में अप्रार्थीगण व ग्राम पंचायत प्यारीवास को पक्षकार बनाया गया है।
3. उक्त सभी निगरानियों में निगरानीकार के द्वारा ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने हेतु यह निगरानियां प्रस्तुत की गई है।
4. ग्राम पंचायत प्यारीवास से जारी पट्टों का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता निगरानीकर्तागण व समस्त निगरानियों में अप्रार्थी सं० 1 व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
5. अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम कानपुरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 814 व 747 में से गै.मु.आबादी हेतु ग्राम पंचायत प्यारीवास के प्रस्ताव सं० 05 दिनांक 24.12.2003 के आधार पर तहसीलदार दौसा ने ग्राम कानपुरा के आबादी विस्तार को ध्यान में रखते हुए ग्राम कानपुरा तहसील दौसा(हाल तहसील नांगल राजावतान) में स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर 747 में से 0.35 है. एवं खसरा नंबर 814 में से 0.50 है. कुल 0.85 है. भूमि को जिला कलेक्टर दौसा ने अपने आदेश क्रमांक:4236 दिनांक 28.7.2006 को सैट अपार्ट की गई थी। उक्त सैट अपार्ट आदेश में ग्राम पंचायत आबादी हेतु आरक्षित की गई भूमि के पट्टे प्रचलित नियमों के तहत तैयार किये गये एक्शन प्लान के अनुसार जारी कर सकेगी। कमजोर वर्ग के लोगों/बी.पी.एल. में चयनित को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर पट्टे जारी किये जावेंगे। एक्शन प्लान के अनुसार मौके पर रास्ता छोड़कर ही आवासीय पट्टे जारी किये जावेंगे। गैर निगरानीकार सं० 1 रामजीलाल व कन्हैयालाल भारत सरकार के अधीन अधिकारी के पद पर कार्यरत है एवं राजपत्रित अधिकारी है। किसी भी सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को रियायती दर पर पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थीगण रियायती दर पर पट्टा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं थे फिर भी ग्राम पंचायत प्यारीवास ने विधि विरुद्ध तरीके से नियमों का उल्लंघन करके अप्रार्थीगण को पट्टे जारी किये गये है जो निरस्त योग्य है। गैर निगरानीकार सं० 1 ने गुपचुप में पट्टा प्राप्त किया गया है जिसकी प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं की गई है ना ही अप्रार्थीगण ने समयावधि 06 माह के पट्टे को उप पंजीयक के यहाँ पंजीकृत करवाया है। ना ही नियत

Deendra
जिला कलेक्टर, दौसा

समयावधि में भूमि का कब्जा प्राप्त कर निर्माण किया है जो कि पट्टा प्राप्त करने की शर्तों का सरासर उल्लंघन है। इसलिए पट्टे निरस्त योग्य है। अप्रार्थीगण में से जो कि राजकीय कर्मचारी है पात्र नहीं होते हुए भी 10/-रु0 दर पर पट्टा प्राप्त किया है जो निरस्तनीय है। अप्रार्थी नं0 1 व उनके परिसर के सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत मानपुरिया में पट्टों के नवीनीकरण हेतु दिनांक 4.8.2021 को आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत मानपुरिया द्वारा सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत प्यारीवास को दिनांक 17.8.2021 को पत्र लिखकर पट्टों की मूल पत्रावली चाही गई थी, परन्तु ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा अभी तक भी पट्टों की पत्रावलियां ग्राम पंचायत मानपुरिया को नहीं भिजवाई गई है। दिनांक 17.2.2024 को याचिकाकार को यह सूचना मिली कि खसरा नंबर 747/1 गै0मु0 आबादी भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है जिस पर याचिकाकार द्वारा दिनांक 17.2.2024 को निषेधाज्ञा जारी की गई व अतिक्रमण करने का प्रयास करने वालों को नोटिस जारी किये गये व फिर भी नहीं मानने पर पुलिस थाना नांगल राजावतान को रिपोर्ट दी गई व पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण का सामान जब्त किया गया। दिनांक 18.2.2024 को पुलिस थाना नांगल राजावतान में एफ.आई.आर. नंबर 27/2024 धारा 353, 504, 506, 509 आई.पी.सी. के तहत दर्ज कराई गई। दिनांक 6.2.2024 को याचिकाकार ने प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नांगल राजावतान के समक्ष उक्त पट्टों को निरस्त करवाने हेतु आवेदन/अपील प्रस्तुत की जिसे बिना सुनवाई किये बिना ही प्रशासन एवं स्थाई समिति द्वारा दिनांक 15.2.2024 को मयाद के बिन्दु पर ही खारिज कर दिया। चूंकि उक्त पट्टे अवैधानिक तरीके से नियमों के विरुद्ध जारी किये गये थे, और अवैध पट्टों को निरस्त करने के लिए कार्यवाही की कोई मयाद नहीं होती है। अप्रार्थीगण का नाम जिला कलक्टर दौसा को भेजे गये एक्शन प्लान भूमिहीन परिवारों की सूची में नहीं था। एक्शन प्लान में खसरा नंबर 747 हेतु भूमिहीन परिवारों में रामधन पुत्र रामचंदा बैरवा, रामनिवास पुत्र रामफूल मीना, पूनीराम पुत्र नानगा मीना, कंचन पुत्र रामफूल मीना, मनोहर पुत्र रामनिवास मीना, धन्ना पुत्र मंगला बैरवा रामधन पुत्र रामफूल मीना, पांचू पुत्र परसा बैरवा, जिंसी पुत्र देवा मीना, परता पुत्र नानगा बैरवा, छाज्या पुत्र पून्या बैरवा, गोरधन पुत्र नानगा बैरवा, नाथ्या पुत्र रामदेव बैरवा, रामजीलाल पुत्र सोन्या बैरवा के नाम भेजे गये थे। गैर निगरानीकारगण सं. 1 यां उसके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम एक्शन प्लान में नहीं भेजा गया था। अप्रार्थी ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा सभी नियमों की अवहेलना करके अप्रार्थीगण सं. 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने की गरज से नियम विरुद्ध पट्टे जारी किये गये हैं। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिकाएं स्वीकार फरमाई जाकर अप्रार्थीगण को जारी पट्टे दिनांक 27.8.2011 व 5.11.2011 निरस्त फरमावें। अधिवक्ता निगरानीकार ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त (2015)4 डब्ल्यूएलएन 497, 2014(1)आरआरटी 366, 2009(1) आरआरटी 113 की प्रतियां पेश की गई।

6. अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने बहस में कथन किया कि गैर निगरानीकार सं0 1 को ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है जो वैध एवं रजिस्टर्ड पट्टा है जिसके विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करने का ग्राम पंचायत मानपुरिया को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। जिला कलक्टर दौसा द्वारा ग्राम कानपुरा के खसरा नंबर 747 में से 0.35 है. एवं खसरा नंबर 814 में से 0.50 है. कुल 0.85 है. भूमि आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई थी। मुताबिक प्लान के आवेदक धारियों को ग्राम पंचायत प्यारीवास ने पट्टे जारी किये गये हैं। ग्राम पंचायत प्यारीवास ने गैर निगरानीकार सं. 1 को पूर्ण नियमों का पालन करते हुए पट्टा जारी किया गया है। गैर निगरानीकार संव 1 ने पट्टा प्राप्त करने के बाद उक्त भूमि पर अपना कब्जा संभाल लिया था और पट्टे पर दी गई भूमि में गैर निगरानीकार द्वारा पुख्ता मकान, बाड़ा, टीनशैड, चारदीवारी और पशु बांधने के काम में उक्त भूमि का उपयोग किया जा रहा है। ग्राम पंचायत प्यारीवास ने निर्धारित शुल्क लेकर

Devendra
जिला कलक्टर, दौसा

ही गैर निगरानीकारान को पट्टे जारी किये गये है। निगरानीकार द्वारा प्रधान एवं अध्यक्ष, प्रशासन एवं स्थापना समिति नांगल राजावतान के समक्ष पट्टों को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई थी जिसको पूर्ण सुनवाई की जाकर मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई है। ग्राम पंचायत प्यारीवास के समक्ष जिस व्यक्ति ने पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया था, उसके ही ग्राम पंचायत ने पूर्ण वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा जारी किया गया है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं० 1 ने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा जो पट्टे जारी किये गये है वे पूरे कोरम की मीटिंग बुलाकर प्रस्ताव लेकर आम सहमति बनने पर ही आवेदकों को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टे जारी किये गये है जिनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानियां ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा पट्टे जारी होने के लगभग 12-13 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। और देरी से निगरानी प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया है तथा देरी को कन्डोन किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है ना ही देरी को कन्डोन करने के संबंध में निगरानी याचिका में कोई चरण अंकित किया गया है। ऐसी सूरत में निगरानी मियाद बाहर होने के कारण प्राथमिक स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है। गैर निगरानीकार सं० 1 को जारी पट्टे रजिस्टर्ड पट्टे है जिनको उप पंजीयक नांगल राजावतान द्वारा पंजीयन किये गये है। पंजीकृत पट्टों को माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। पंजीकृत पट्टे को केवल मात्र सिविल कोर्ट द्वारा ही अपास्त किया जा सकता है। इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं० 1 ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी-2015(2) पेज 967, डीएनजे-2021 (1)राज. पेज-186, एआईआर-1995 उडीसा पेज 271, एआईआर-1991 एमपी पेज-15, आरआरटी-2018-18(SUPP) पेज-125 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानियां खारिज फरमाई जावे।

7. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत प्यारीवास ने जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत नियमानुसार पट्टा दिया जाना तथा पूर्ण नियमों की पालना करते हुए पट्टा जारी किया गया है। प्रधान एवं अध्यक्ष, प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नांगल राजावतान के समक्ष निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को पूर्ण सुनवाई की जाकर मियाद के बिन्दु पर खारिज की गई है। राज० पंचायत राज० अधिनियम 1994 की धारा 61 (1) के तहत पंचायत के किसी आदेश या पट्टे के विरुद्ध अपील करने की निर्धारित अवधि 03 दिन निर्धारित की गई है। चूंकि प्रस्तुत अपील लगभग 12-13 वर्ष बाद प्रस्तुत करने के कारण मियाद बाहर प्रस्तुत की गई थी जिस कारण पंचायत समिति नांगल राजावतान द्वारा आवेदक की अपील को विधि अनुरूप ही खारिज किया गया है। ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा जो पट्टे जारी किये गये है वे पूर्ण कोरम की मीटिंग बुलाकर पूर्ण प्रस्ताव लेकर प्रस्ताव में आम सहमति बनने पर ही आवेदक को विधि प्रक्रिया अपनाकर पट्टे जारी किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।
8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम निगरानी में मियाद के बिन्दु पर मनन किया गया। अधिवक्ता निगरानीकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी अवैधानिक पट्टों को निरस्त करने के लिए कार्यवाही की कोई मियाद नहीं होती है। फिर भी प्रशासन एवं स्थाई समिति पंचायत समिति नांगल राजावतान द्वारा निगरानीकार की निगरानी मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमा दी गई। अधिवक्ता गैर निगरानीकारान ने बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा जारी पट्टों को निरस्त करने हेतु निगरानीकार द्वारा 12-13 वर्षों बाद चुनौती दी गई है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे। हम अधिवक्ता निगरानीकार की इस दलील से सहमत है कि

Dewendra
जिला कलक्टर, दासा

चूँकि अवैधानिक पट्टों को निरस्त किये जाने की कोई मियाद नहीं होती है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर मूल निगरानियों पर बहस सुनी गई। ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा जारी किये गये प्रश्नगत पट्टा पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत प्यारीवास ने निगरानीकारान को राज0 पंचायत राज अधिनियम के नियम 158 के तहत पट्टे जारी किये गये हैं। राज0 पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के प्रावधान निम्न अनुसार है:-

“ भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन- (1) पंचायत गांव आवंटियों में 300 वर्ग गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के सदस्यों, गाँव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों को जिनके पास जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके जिनके गृह बह गये हैं या गृह या गृहस्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी।”

साथ ही जिला कलक्टर दौसा ने अपने आदेश क्रमांक:4236 दिनांक 28.7.2006 के द्वारा ग्राम कानपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान के चरागाह भूमि खसरा नंबर 747 में से 0.35 है. एवं खसरा नंबर 814 में से 0.50 है. कुल किता 2 रकबा 0.85 है. भूमि को आबादी विस्तार हेतु सैट अपार्ट किया गया है, जिसकी शर्तों में अंकित किया गया है कि कमजोर वर्ग के लोगों/ बी0पी0एल0 में चयनित परिवारों को रियायती दर पर प्राथमिकता के आधार पर पट्टे जारी किये जावें। साथ ही विकास अधिकारी पंचायत समिति दौसा को निर्देश प्रदान किये गये थे कि एक्शन प्लान के अनुसार आवासीय पट्टे जारी कराने की सुनिश्चितता करें। जबकि गैर निगरानीकारान का नाम एक्शन प्लान में नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा उनको पट्टे जारी किये गये हैं।

ग्राम पंचायत प्यारीवास की मूल पट्टा पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्प में 10/-रु0 प्रति वर्ग गज की दर से पट्टा देना अर्थात सभी पट्टें 3000/-रुपये में देना प्रमाणित होता है, परन्तु पट्टा पत्रावली में संलग्न इकरारनामा की प्रति के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि सभी कब्जाधारियों द्वारा अपने कब्जेशुदा 300 वर्गगज का बेचान 74000/-रु0 में किया गया है। ग्राम पंचायत प्यारीवास को उक्त भूमि को गैर निगरानीकारान के भूमिहीन नहीं होने के बावजूद रियायती दर पर पट्टे दिये गये हैं जो कि उक्त इकरारनामा के अनुसार प्रति पत्रावली 71000/-रु0 की राजस्व हानि होने का भी सूचक है।

मूल पट्टा पत्रावलियों के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा निगरानी सं0 11/2024 व 12/2024 में गैर निगरानीकार कल्याण पुत्र इन्द्राज मीना, निगरानी सं0 15/2024 व 03/2024 में गैर निगरानीकार रामजीलाल पुत्र कल्याण, निगरानी सं0 07/2024 व 08/2024 में गैर निगरानीकार कन्हैया पुत्र कल्याण, निगरानी सं0 04/2024 में गैर निगरानीकार काली पत्नि रामजी लाल, निगरानी सं0 02/2024 में गैर निगरानीकार विजयकुमार पुत्र रामजीलाल मीना, निगरानी सं0 14/2024 में गैर निगरानीकार सूरज पुत्र रामजीलाल मीनरा, निगरानी सं0 10/2024 में गैर निगरानीकार खुशबु पुत्री रामजीलाल नाबा0, निगरानी सं0 09/2024 में रामेश्वरी पत्नि कन्हैयालाल, निगरानी सं0 5/2024 में राजीव पुत्र कन्हैयालाल, निगरानी सं0 6/2024 में दिलीप पुत्र कन्हैयालाल, निगरानी सं0 13/2024 में सीमा पुत्री कन्हैयालाल जाति मीना के नाम पट्टे जारी किये गये हैं। उक्त गैर निगरानीकारान को जो पट्टे ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा जारी किये गये हैं, उनके भूमिहीन होने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा सभी जारी पट्टे एक ही परिवार के सदस्यों को जारी किये गये हैं। अधिवक्ता

Danda
जिला कलक्टर, दौसा

निगरानीकार ने निगरानी में कथन किया है कि गैर निगरानीकार कन्हैया एवं रामजीलाल पि० कल्याण मीना राजकीय सेवा में सेवारत है। परन्तु उक्त कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावलियों में एक्शन प्लान में अंकित व्यक्तियों द्वारा गैर निगरानीकारान को उक्त कब्जे के आधार पर भूखंडों का दिनांक 21.8.2011 को बेचान किया गया है। जबकि बेचानकर्ताओं का कोई मालिकाना हक नहीं था। पट्टा पत्रावली के निर्णय में दिनांक 20.10.2011 को ग्राम पंचायत पट्टाधारक का वर्ष 2003 से गुवाडी खाम बनी हुई होना बताया है। पट्टवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि को दिनांक 14.5.2011 को खाली होना अंकित किया है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूमि के पट्टों को ग्राम पंचायत प्यारीवास के द्वारा दिनांक 20.12.2023 को पुनर्विधिमान्यकरण किया गया है। परन्तु ग्राम पंचायत में उपलब्ध पट्टों के मूल रिकार्ड की कार्यालय प्रति एवं प्रपत्र 24 के अवलोकन से उक्त पट्टों के पुनर्विधिमान्य करने बाबत कोई टिप्पणी नहीं पाई गई जिससे विरोधाभास होना ज्ञात होता है। उप पंजीयक नांगल राजावतान के द्वारा पट्टों का दिनांक 19.3.2024 को पंजीयन किया गया है। पंचायत पुनर्गठन से पूर्व ग्राम कानपुरा ग्राम पंचायत प्यारीवास में शामिल था जहो पुनर्गठन के पश्चात नवसृजित ग्राम पंचायत मानपुरिया में शामिल कर लिया गया। पंचायत पुनर्गठन के पश्चात ग्राम कानपुरा से संबंधित समस्त अभिलेख पट्टों सहित नवसृजित ग्राम पंचायत मानपुरिया को सुपुर्द किया जाना चाहिए था। वर्तमान में ग्राम कानपुरा ग्राम पंचायत प्यारीवास के अधिकार क्षेत्र में नहीं होकर ग्राम पंचायत मानपुरिया के क्षेत्राधिकार में होने के बावजूद ग्राम पंचायत प्यारीवास ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर ग्राम कानपुरा के पट्टों को पुनर्विधिमान्यकरण किया गया है। जिसके पृष्ठांकन पर सरपंच, ग्राम पंचायत प्यारीवास के हस्ताक्षर नहीं है केवल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत प्यारीवास के हस्ताक्षर अंकित है जो गंभीर खामी होने का परिचायक है। साथ ही सरपंच, ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा उप पंजीयक नांगल राजावतान के समक्ष पट्टों का पंजीयन कराया गया है। हम निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य समझते हैं।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानियां आंशिक स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा पारित संकल्प सं० 11 दिनांक 5.8.2011, संकल्प सं० 14 दिनांक 5.8.2011, संकल्प सं० 15 दिनांक 5.8.2011, संकल्प सं० 04 दिनांक 20.10.2011, संकल्प सं० 05 दिनांक 20.10.2011, संकल्प सं० 06 दिनांक 20.10.2011, संकल्प सं० 07 दिनांक 20.10.2011 संकल्प सं० 08 दिनांक 20.10.2011, संकल्प सं० 09 दिनांक 20.10.2011, संकल्प सं० 10 दिनांक 20.10.2011, संकल्प सं० 11 दिनांक 20.10.2011, संकल्प सं० 12 दिनांक 20.10.2011, संकल्प सं० 13 दिनांक 20.10.2011, संकल्प सं० 14 दिनांक 20.10.2011 के निर्णय को निरस्त किया जाता है। मूल निर्णय निगरानी सं० 2/2024 में रखा जावे एवं शेष निगरानी सं० 03/2024 से 15/2024 में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे।

Devendra
जि.दे.के.कुमार
जिला कलक्टर, दोसा

निर्णय आज दिनांक 10 जुलाई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दोसा